विज्ञापन

निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, शिक्षा सदन, सैक्टर–5, पंचकुला

टेलीफोन 0172–2560120, 2560453

एतद्‌द्वारा सूचित किया जाता है कि CWP No. 346/2014 Antim Kumari Vs. State of Haryana मामले में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवमं हरियाणा, चण्डीगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.04.2015 की अनुपालना में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला द्वारा विज्ञापन न0. 2/2012, कैटेगरी न0. 1 व 2 के तहत पी0आर0टी0 अध्यापकों की द्वितीय सूची जारी की गई थी। द्वितीय सूची में चयनित अभ्यर्थियों को CWP No. 12938/2014 Maha Singh Bhurania Vs. State of Haryana में माननीय न्यायलय के आदेश दिनांक 06.08.2014 के तहत तथा CWP No. 11796/2015 Meenakshi Malik & ors Vs. State of Haryana & ors. में कोर्ट के अंतरिम आदेश दिनांक 03.11.2015 की अनुपालना में अंतिम कुमारी कोर्ट केस में वर्ष 2015 में supplementary list मे चयनित उम्मीदवार व अन्य कोर्ट केसिज के माध्यम से चयनित उम्मीदवार जो अंगूठे/हस्ताक्षर की वैज्ञानिक जांच हेतु पूर्व में निर्धारित किये गये जांच कार्यक्रमों में उपस्थित नहीं हो सके तथा मुख्य चयन सूची वर्ष 2014 का कोई उम्मीदवार जो अभी तक अंगूठे/हस्ताक्षर की वैज्ञानिक जांच के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुआ है को दिनांक **20.06.2017** को प्रातः 10 बजे से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के कार्यालय में स्थित अध्यापक भवन में जांच कमेटी के समक्ष उपस्थित होने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे उम्मीदवार जिनका चयन शिक्षण अनुभव के आधार पर हुआ था व वर्ष 2013 में एच0टेट की परीक्षा पास कर ली गई है को भी अंगूठा/हस्ताक्षर जांच हेतु उपरोक्त निर्धारित समय अनुसार जांच कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने के आदेश दिए जाते है। सभी उम्मीदवार निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सरकार द्वारा जारी अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड एंव मूल शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र साथ लाएं। यदि आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो पासपोर्ट, वोटर कार्ड या पैन कार्ड आदि एवं बिना चश्में की तीन नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो (जिसमें फोटो का 60 प्रतिशत भाग साफ चेहरा वाला हो) साथ लेकर आएं। यदि कोई अभ्यार्थी अपने अंगूठों के निशान, हस्ताक्षर का नमूना एवं फोटो का मिलान करवाने में उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन रदद कर दिया जाएगा व अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यह विज्ञापन विभागीय वेबसाईट **www.harprathmik.gov.in** पर भी देख सकते है।

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
कृते : निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।